आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या 81/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

केपरी ग्लोबल हाउसिंग फाईनेन्स लि. क्षेत्रीय कार्यालय प्लाट नं. 13 द्वितीय एवं तृतीय फलोर, प्रताप नगर, खातीपुरा, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. बनवारी लाल धूत पुत्र श्री लाल हनुमान
2. सोहन लाल पुत्र श्री बनवारी लाल धूत
   मार्फत मैसर्स अभि किराणा स्टोर, ढोढसर, जयपुर एवं
   सम्पत्ति स्थित पट्टा संख्या 4 मिसल नं. 51/2017 ग्राम पंचायत ढोढसर, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जयपुर ।
3. श्रीमती शीतल देवी पुत्री श्री राकेश
   निवासी महाजन मोहल्ला ढोढसर, जयपुर एवं
   सम्पत्ति स्थित पट्टा संख्या 4 मिसल नं. 51/2017 ग्राम पंचायत ढोढसर, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जयपुर ।
4. जितेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री प्रहलाद सिंह
   निवासी राजपूतों का मोहल्ला ढोढसर जयपुर एवं
   सम्पत्ति स्थित पट्टा संख्या 4 मिसल नं. 51/2017 ग्राम पंचायत ढोढसर, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थितः—श्री नवीन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 22.04.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 04.09.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सोहन लाल के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 2 मिसल नम्बर 51/2017 ग्राम पंचायत ढोढसर पंचायत समिति गोविन्दगढ क्षेत्रफल 25.83 वर्गगज को बन्धक रख कुल 14,72,454/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 10.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को 14,72,454/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 18,27,799 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 10.01.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सोहन लाल के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 2 मिसल नम्बर 51/2017 ग्राम पंचायत ढोढसर, पंचायत समिति गोविन्दगढ क्षेत्रफल 25.83 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक **22.04.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner